संख्या- 329 /2026/ 2306 /नौ-9-2025/001-ई-2002795

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2026

विषय- नगरीय निकायों (ULBs) के मार्ग प्रकाश एवं जलकल मद तथा जल संस्थानों के बकाया विद्युत देयकों के लम्बित भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 622.56 करोड़ (रुपये छः सौ बाईस करोड़ छप्पन लाख मात्र) निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8/912/आय-व्ययक अनुमान, दिनांक-16.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 के पत्र दिनांक 04 दिसम्बर 2025 को संलग्न करते हुये उक्त पत्र में उल्लिखित नगर निकायों के मार्ग प्रकाश एवं जलकल मद में कुल धनराशि रू0 1065.87 करोड़ की बकाया विद्युत देयता के दृष्टिगत संदर्भित देयकों के भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 622.56 करोड़ की अनुपूरक बजट व्यवस्था कराते हुए उक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 37 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-17-प्रदेश के नगर निकायों के मार्ग प्रकाश एवं जलकल के विद्युत देयों के भुगतान हेतु-42-अन्य व्यय" मद में अनुपूरक बजट व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध धनराशि रू0 622.56 करोड़ (रू0 छः सौ बाईस करोड़ छप्पन लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की माननीय राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार संबंधित को अंतरित की जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग नगरीय निकायों (ULBs) के मार्ग प्रकाश एवं जलकल मद तथा जल संस्थानों के बकाया विद्युत बिलों के लम्बित भुगतान हेतु किया जायेगा।

(3) उक्त भुगतान करने से पूर्व संबंधित से समुचित प्रस्ताव/ सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित सुसंगत अभिलेख प्राप्त कर लिया जायेगा एवं पुष्टि होने पर धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित, संगत सूचना शासन के वित्त विभाग तथा नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(8) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(10) सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये** 622.56 **करोड़** (**रुपये छः सौ बाईस करोड़ छप्पन** लाख **मात्र**) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 लेखा शीर्षक 2217808001700 प्रदेश के नगर निकायों के मार्ग प्रकाश एवं जलकल के विद्युत देयों के भुगतान हेतु मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-9-227-X-2025-26**, दिनांक- 31 जनवरी, **2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 02-02-2026
12:21:12

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या- 329 /2025/2306(1)/नौ-9-2026/001-ई-2002795, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, उ0प्र0।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
10. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
12. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (व्यय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।